



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025 (KARTIKA 6, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए०आर०- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार), अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार), अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए०आर०, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 में, अनुसूची में, -

- खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 8 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 12 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- खाना 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:-

5	6	7
"सम्बन्धित सहायक नगर योजनाकार/ ज़िला नगर योजनाकार/ वरिष्ठ नगर योजनाकार	मुख्य नगर योजनाकार	प्रबन्धक निदेशक"।

- (v) खाना 1, 2 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
"14	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	(i) जल कनेक्शन	15 दिन	क्षेत्रीय प्रभारी, अभियान्त्रिकी डिवीज़न	विभागाध्यक्ष (अभियान्त्रिकी)	प्रबन्ध निदेशक
		(ii) मलजल कनेक्शन	15 दिन	क्षेत्रीय प्रभारी, अभियान्त्रिकी डिवीज़न	विभागाध्यक्ष (अभियान्त्रिकी)	प्रबन्ध निदेशक"।

- (vi) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 30 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"31	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	ज़ोनिंग प्लान (पुनरीक्षित)	45 दिन	ज़िला नगर योजनाकार/ वरिष्ठ नगर योजनाकार, मुख्यालय	मुख्य नगर योजनाकार	प्रबन्ध निदेशक
32	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक शौचालयों की सफाई	01 दिन	क्षेत्रीय प्रभारी, अभियान्त्रिकी डिवीज़न	विभागाध्यक्ष (अभियान्त्रिकी)	प्रबन्ध निदेशक
33	हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत और रखरखाव	15 दिन	क्षेत्रीय प्रभारी, अभियान्त्रिकी डिवीज़न	विभागाध्यक्ष (अभियान्त्रिकी)	प्रबन्ध निदेशक"।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 28th October, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under Sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 13th October, 2023, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 13th October, 2023, in the Schedule,-

- under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, serial number 4 and existing entries thereagainst shall be omitted;
- under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, serial number 8 and existing entries thereagainst shall be omitted;
- under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, serial number 12 and existing entries thereagainst shall be omitted;
- under columns 5, 6 and 7, serial number 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

5	6	7
"ATP/DTP/STP concerned	CTP	Managing Director".

- (v) under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, for serial number 14 and existing entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“14	HSI IDC	(i) Water Connection	15 Days	Field Incharge, Engineering Division	HoD (Engineering)	Managing Director
		(ii) Sewerage Connection	15 Days	Field Incharge, Engineering Division	HoD (Engineering)	Managing Director”.

- (vi) under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, after serial number 30 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:-

“31	HSI IDC	Zoning Plan (Revised)	45 Days	DTP/STP at Head Office	CTP	Managing Director
32	HSI IDC	Cleanliness of Public Washrooms	01 Days	Field Incharge, Engineering Division	HoD (Engineering)	Managing Director
33	HSI IDC	Repair and Maintenance of Public Washrooms	15 Days	Field Incharge, Engineering Division	HoD (Engineering)	Managing Director”.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.